



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 08.01.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 178/2024 धारा 5M/6 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.11.2024 को वादी ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि AB पुत्र XY द्वारा वादी के 07 वर्षीय पुत्र के साथ गलत काम किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 178/2024 धारा 5M/6 पॉक्सो पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित बाल अपचारी (AB) को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह नागर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1960 शिवशंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1980 फैय्याज थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 08.01.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 06/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त को चोरी की गई लकड़ी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.01.2025 को वादी श्री सूर्यकांत सिंह पुत्र गजराम सिंह निवासी मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि ग्राम फत्तेहउल्लानगर में स्थित वादी की कृषि भूमि से टिकू उर्फ राजू पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम मेघपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने यूकेलिप्टिस व पोपलर के पेड चोरी कर लिये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 303(2) भादवि बनाम टिकू उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त टिकू उर्फ राजू पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम मेघपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर चोरी से काटे गये पेडों की करीब 05 कुंतल लकड़ियां / टुकड़ों को बरामद किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

टिकू उर्फ राजू पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम मेघपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

यूके लिप्टिस व पॉपलर के पेडों के कटे हुए टुकड़े

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0कां0 842 विकास बाबू थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।
- 3.कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नगीना देहात

दिनांक 08.01.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 04/25 धारा 308(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र व मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.01.2025 को वादी श्री संदीप कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने वादी व वादी के पुत्र को तमंचा दिखाकर 60,000 रुपये रंगदारी मांगी तथा फोन पर पैसों की मांग की व पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 04/25 धारा 308(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय दो जिन्दा कारतूस व एक मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी) बरामद किये गये। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आदित्य कुमार पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
2. एक मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 142/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 197/24 धारा 79/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना न0देहात बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 04/25 धारा 308(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना न0देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 संदीप पंवार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 3—आरक्षी 1299 नितिन कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 08.01.2025

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 204/2024 धारा 305(1) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये कम्प्यूटर सम्बंधी उपकरणों सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.07.2024 को वादिया कु0 रूपल (ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पदमपुर) पुत्री राजीव कुमार निवासी ग्राम पदमपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम पंचायत पदमपुर से मॉनिटर, सीपीयू व डीवीआर चोरी कर ली गयी थी। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 204/24 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।



कार्यवाही –

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.कामेन्द्र उर्फ चवनी पुत्र गरीबा 2.सोरन पुत्र बालेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जोगिन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया एक सीपीयू, एक मॉनीटर (एचपी कम्पनी) बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.कामेन्द्र उर्फ चवनी पुत्र गरीबा निवासी ग्राम जोगिन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर
- 2.सोरन पुत्र बालेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जोगिन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी –

चोरी किया गया एक सीपीयू, एक मॉनीटर (एचपी कम्पनी)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 076/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 204/2024 धारा 305(1) / 317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 207/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
हे0कां0 607 कपिल तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
कां0 2103 शिवांक त्यागी थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
कां0 1075 अजीत कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नहतौर**

दिनांक 08.01.2025

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.01.2024 थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त गौरव पुत्र कुलवीर सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. गौरव पुत्र कुलवीर सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1. एक तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव उपरोक्त —

1. मु0अ0सं0 06/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 223/20 धारा 323/324/504 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 2—मुख्य आरक्षी 359 रविशंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 3—आरक्षी 731 रोहित कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 4—आरक्षी 695 नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 08.01.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने पर मु0अ0सं0 10/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बंधित अभियुक्त को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.01.2025 को वादी श्री शारिक पुत्र शाहिद निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि वादी मौहल्ले के ही किराना स्टोर से परचून का सामान लेने गया, इसी दौरान वादी अपना मोबाइल फोन सेमसंग S20FE वहीं रखकर भूल गया, जिसे मौहम्मद फैज पुत्र मौहम्मद अफजाल निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने चोरी कर लिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 10/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त फैज पुत्र मौहम्मद अफजाल निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को चोरी किये गये एक मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

फैज पुत्र मौहम्मद अफजाल निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किया गया मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.कां0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 08.01.2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 08/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.01.2025 को वादिया मोमिना पत्नी स्व0 मौहम्मद इस्माईल निवासी ग्राम मौजमपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सोहेब पुत्र मौ0 अनीस 2.मौ0 अनीस पुत्र नामालूम 3.इशरत जहाँ पत्नी मौ0 अनीस 4.जुबेर पुत्र मौ0 अनीस 5.गजाला पत्नी जुबेर निवासीगण पुराना धामपुर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए प्रताडित किया गया तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर वादिया की पुत्री तरन्नुम की हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 08/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम सोहेब आदि कुल 05 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 03 अभियुक्तगण 1.सोहेब पुत्र मौ0 अनीस 2.मौ0 अनीस पुत्र हनीफ 3.इशरत जहाँ पत्नी मौ0 अनीस निवासीगण पुराना धामपुर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सोहेब पुत्र मौ0 अनीस निवासी पुराना धामपुर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मौ0 अनीस पुत्र हनीफ निवासी पुराना धामपुर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.इशरत जहाँ पत्नी मौ0 अनीस निवासी पुराना धामपुर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.उ0नि0 गोपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 517 कपिल आर्य थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.म0कां0 400 पूनम शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर